भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3102
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

नांदेड़ में सोयाबीन कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर

3102. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र राज्य में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के अंतर्गत स्वीकृत और संचालित हो रहे क्लस्टरों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) उक्त योजना से किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी;
(ग) क्या महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला देश में सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का नांदेड़, महाराष्ट्र में सोयाबीन कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) उक्त क्लस्टर कब तक स्थापित होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) नांदेड़, महाराष्ट्र के किसानों के लाभ के लिए उनकी उपज हेतु उचित बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) 2017 से कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना सृजन (एपीसी) योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना है। इसका मकसद देश में क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए आधुनिक अवसंरचना बनाना है। अब तक, मंत्रालय ने इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में 5 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर को मंज़ूरी दी है। सभी 5 एपीसी चालू हो चुके हैं।

(ख): इस योजना का मकसद आधुनिक अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं का विकास करना है, ताकि उत्पादकों/किसानों के ग्रुप्स को आधुनिक अवसंरचना वाली सुसज्जित सप्लाई चेन के ज़रिए प्रसंस्करण कर्ताओं और बाजार से जोड़ कर उद्यमियों के ग्रुप को क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना बनने से, खेती की उपज की मांग बढ़ती है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल है, जिससे किसानों को बेहतर कीमतें मिलती हैं और फार्म गेट लाभप्रदत्ता बढ़ती है।

(ग): जी हाँ, महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िला में सोयाबीन उत्पादन बहुत होता है। साल 2025-26 के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में सोयाबीन का क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)**	**उत्पादन (लाख टन)**	**उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)**
2025-26*	4.56	6.15	1350

*क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता का प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार-महाराष्ट्र राज्य सरकार

(घ) और (ङ): एपीसी योजना राज्य/ज़िला/फसल विशिष्ट नहीं है। मंत्रालय स्वयं कोई कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर नहीं बनाता है । कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना सृजन (एपीसी) योजना मांग आधारित है, जिसके तहत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिवयक्ति (ईआईओ) के आधार पर संभावित निवेशकों/ उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाते हैं।

(च): भारत सरकार ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंज़ूरी दी है। इस मिशन का मकसद सोयाबीन समेत प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना और कॉटनसीड, राइस ब्रान, कॉर्न ऑयल और पेड़ों से मिलने वाले तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रह, निष्कर्षण और वसूली दक्षता को बढ़ाना है।

यह मिशन महाराष्ट्र समेत 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है और मार्केट लिंकेज के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का अनुपालन करता है। मूल्य श्रृंखला क्लस्टर्स का मूल्य श्रृंखलासहभागी जैसे कि किसान उत्पादक संगठन(एफ़पीओ), कोऑपरेटिव्स और दूसरी कार्यान्वयन एजेंसियां प्रबंधन करती हैं। इन क्लस्टर के तहत, किसानों को हर किसान के लिए एक हेक्टेयर तक के एरिया के लिए मुफ़्त उच्च-गुणवत्ता वाले बीज दिए जाते हैं, साथ ही अच्छी खेती के तरीकों (जीएपी) पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-एएएसएचए) के ज़रिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद भी सुनिश्चित की जाती है।

इसके अलावा, यह मिशन प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों स्रोत से तेल की वसूली को बेहतर बनाने के लिए तेल मिलों समेत कटाई के बाद की अवसंरचना को बनाने और अपग्रेड करने में भी मदद करता है। इस मदद का मकसद कटाई के बाद की अवसंरचना को मजबूत करना, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, मार्केट तक पहुंच बढ़ाना और किसानों के तिलहन के उत्पादन के लिए सही दाम सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, सरकार हर साल सोयाबीन समेत तिलहन फसलों के लिए एमएसपी भी तय करती है, जो पूरे भारत में भारित औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना परिलाभ देने के सिद्धांत के अनुसार है। 2022-23 से 2025-26 के दौरान पीली सोयाबीन के लिए निश्चित एमएसपी की जानकारी नीचे दी गई है:

वर्ष	**एमएसपी (रुपये प्रति क्विंटल)**
2022-23	4300
2023-24	4600
2024-25	4892
2025-26	5328

*****